संख्या : 516 /V/2007–556(सा.)/2004

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक :23 मार्च, 2007

विषयः नगर पंचायत, मुनि की रेती हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1721/V–श.वि.–05–556(सा.)04 दिनांक 14.9.2005 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा **नगर पंचायत, मुनि की रेती के विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों हेतु रू. 71.26लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी किन्तु शासनादेश संख्या 801/V–**श.वि.–06–166(सा.)टी.सी./03 दिनांक 29.3.2006 के द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 53.45लाख आहरित किए जाने के निर्देश जारी किए गये थे।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि रू. 17.81लाख (रू. सत्रह लाख इक्यासी हजार मात्र) (रू. 71.26लाख–रू. 53.45लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में रख दी जायेगी और कार्य की प्रगति के अनुसार आवश्कतानुसार इसका आहरण किया जायेगा।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय। इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।
4. टाईल सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश सं0–3173/V–श0वि0–2006, दिनांक–30 अगस्त, 2006 जो वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु Third Party Quality Checking की व्यवस्था की जायेगी जिस हेतु संबंधित संस्थाओं से अनुबन्ध होने के उपरान्त आवश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
6. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(... तकरियाल)
अनु सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

क्रमशः...

G.O.Balance

9. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण कियां जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्यियता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
11. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. **कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।**
13. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
14. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
15. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
16. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
17. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
18. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
19. कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
20. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
21. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः...

(... ...रियाल)
...सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

G.O.Balance

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 2270/XXVII(2)/2006 दिनांक–22 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या :516 (1)/V/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, टिहरी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मुनि की रेती (टिहरी)।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन. के. जोशी)
अपर सचिव।

[redacted]